

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला - दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

Office Phone No-07856-252280

E Mail ID -cmho.dantewada@gmail.com

क्रमांक / 3428

/स्था./मुचिअ/2024

दन्तेवाड़ा,दिनांक

28 / 10 / 2024

---: आदेश :---

दिनांक 22.10.2024 को जिला चिकित्सालय दन्तेवाड़ा में मोतियाबिंद मरीजों का नेत्र ऑपरेशन में लापरवाही की जांच हेतु गठित जांच समिति द्वारा श्री अभिषेक मण्डल(जूनियर साईंटिस्ट) डी.एम.एफ. संविदा प्रभारी अस्पताल प्रबंधक को पूर्णतः अस्पताल प्रबंधन कार्य में लापरवाही के लिये दोषी पाया गया जो कि सिविल सेवा आचरण नियम 1965 नियम 3 के विपरित होने के कारण छ.ग. सिविल सेवायें (वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 19 के तहत डी.एम.एफ. संविदा तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्त किया जाता है।

कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला -दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.)
दन्तेवाड़ा,दिनांक 28 / 10 / 2024

पृ0क0/ 3429 /मु.चि.अ/2024

प्रतिलिपि :-

- 1 संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छ.ग.रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
- 2 कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा की ओर सादर सूचनार्थ।
- 3 संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें बस्तर संभाग जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
- 4 सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय दन्तेवाड़ा की ओर सूचनार्थ।
- 5 संबंधित श्री अभिषेक मण्डल, (जूनियर साईंटिस्ट) अस्पताल प्रबंधक, डी.एम.एफ. जिला चिकित्सालय दन्तेवाड़ा जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 6 व्यक्तिगत नस्ति।
- 7 आदेश पुस्तिका।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला -दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला - दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

Office Phone No-07856-252280

E Mail ID -cmho.dantewada@gmail.com

क्रमांक/ 3426 /स्था./मुचिअ/2024

दन्तेवाड़ा,दिनांक

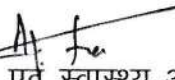
28/10/2024

—:: आदेश ::—

दिनांक 22.10.2024 को जिला चिकित्सालय दन्तेवाड़ा में मोतियाबिंद मरीजों का नेत्र ऑपरेशन में लापरवाही की जांच हेतु गठित जांच समिति द्वारा श्री उमाकांत तिवारी पद माइक्रोबायोलॉजिस्ट डी.एम.एफ.संविदा को पूर्णतः ओ.टी.कार्य में लापरवाही के लिये दोषी पाया गया जो कि सिविल सेवा आचरण नियम 1965 नियम 3 के विपरित होने के कारण छ.ग. सिविल सेवायें (वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 19 के तहत डी.एम.एफ. संविदा तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्त किया जाता है।

कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।


मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला -दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.)
दन्तेवाड़ा,दिनांक 28/10/2024

पृ0क्र0/ 3427 /मु.चि.अ/2024
प्रतिलिपि :-

- 1 संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छ.ग.रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
- 2 कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा की ओर सादर सूचनार्थ।
- 3 संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें बस्तर संभाग जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
- 4 सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय दन्तेवाड़ा की ओर सूचनार्थ।
- 5 संबंधित श्री उमाकांत तिवारी पद माइक्रोबायोलॉजिस्ट डी.एम.एफ.संविदा जिला चिकित्सालय दन्तेवाड़ा जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 6 व्यक्तिगत नस्ति।
- 7 आदेश पुस्तिका।


मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला -दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.)